न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 42/2007 (2007/00139)

जयमल पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल } पिसरान
2. भीमसैन } सहीराम
3. हरचन्द पुत्र सदुराम
4. रामरख } पिसरान
5. देवीलाल } सरदारा
6. बलवन्त
7. कृष्ण } पिसरान
8. महेन्द्र } बलवन्त
9. सुलतान पुत्र गणेशाराम

(1 से 9) अकवाम जाट निवासीयान डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

10. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.11.2004 व डिक्री दिनांक 05.02.2005
द्वारा सहायक कलक्टर हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 183/97 अनवान हरचन्द बनाम रामरख

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री ओमप्रकाश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री औमप्रकाश मोदी, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1 व 2
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 10

निर्णय   दिनांक 23.09.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रे[illegible] संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी [illegible] के अन्तर्गत खाता तकसीम का एक दावा पेश किया। दावा में कथन किया कि [illegible] 14 जे.आर.के. में [illegible] 1.738 है0 भूमि मुस्तर्का खाता में मय [illegible] है जिसमें रेस्पो[illegible] 3 का 2.609 है0 का हक व हिस्सा है वादी अपना खाता तकसीम करवाना चाहता है इसलिए मुताबिक हक हिस्सा अच्छी बुरी के लिहाज से रास्ता खाला के सहुलियत के अनुसार खाता तकसीम किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने उपस्थित होकर अपना 1.265 है0 हिस्सा होना स्वीकार किया व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 /प्रतिवादीगण ने काउंटर क्लेम पेश करते हुए अपना हिस्सा 2.429 है0 भूमि का अलग से खाता तकसीम करने व कब्जा आराजी दिलवाने की अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री पारित की तथा विभाजन के उपरान्त अन्तिम डिक्री पारित की, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 9 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 2 व 3 के अधीवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलधीन निर्णय अपीलाण्ट को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित यिा गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। कथित विभाजन प्रस्ताव अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया व ना ही कथित विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौका पर उपस्थित होने के लिए अपीलांट को कोई नोटिस ही दिया गया ना ही विभाजन प्रस्ताव से संबंधित आपत्तियां ही ली गई जो कानून जरूरी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर विभाजन प्रस्ताव के दावा में अपीलांट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के काउंटर क्लेम में इस कथित रास्ता बाबत कोई मांग नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान नहीं था इसका ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 4–5–2007 को रेस्पोडेंट सं0 1 व 2 ने उसके घर आकर बताया कि हमने आपकी भूमि में से रास्ता स्वीकत करवा लिया है तथा रिकार्ड में दर्ज करवा लिया है। तब उसी दिन अपीलाण्ट ने नकल हासिल की व बिना किसी देरी से अपील प्रस्तुत कर दी है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2019 पेज 751 तथा आरबीजे 2018 पेज 676 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की उपस्थित में दावा का निर्णय किया है। रेस्पोडेण्ट पहले भी इसी रास्ता से आना जाना करते थे परन्तु रास्ता मंजूर नहीं था। अपीलाण्ट को निर्णय के दिन से ही निर्णय व डिक्री की जानकारी [illegible] अपीलाण्ट के घर रास्ता बाबत नहीं गये क्योंकि रास्ता चालू था। इसके [illegible] अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पूर्व में माननीय न्यायालय [illegible] अपील [illegible] बनाम हरचन्द आदि चली थी जिमसें अपीलाण्ट पक्षकार था। [illegible] न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा गया है इसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने कोई अपील पेश नहीं की है। अपीलाण्ट की अपील खाता विभाजन के विरूद्ध नही है। खाता विभाजन में अपीलाण्ट को कोई आपत्ति नहीं है उसके द्वारा चाही गई उसके कब्जा की भूमि उसे विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

में दी गई है। इसलिए अपीलाण्ट विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को भूमि में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया है इसके विरूद्ध अपील पेश की है। रास्ता के अभाव में खाता तकसीम का कोई औचित्य नही है। रास्ता के अभाव में रेस्पो0 सं0 1 व 2 अपनी भूमि काश्त नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 के अनुशण में रास्ता का प्रावधान करना आवश्यक है। अपीलाण्ट ने जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की है उस अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष अपील अनवानी रामरख बनाम हरचन्द आदि अपील संख्या 134/2005 सन् 2005 में पेश हुई थी जिसमें अपीलाण्ट जयमल रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के रूप में पक्षकार था। उक्त अपील का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2006 को फरमाया गया है उक्त निर्णय में उपखण्ड अधिकारी ने रास्ता स्वीकृत किया था उसे यथावत रखा गया है। अपीलाण्ट ने कोई आपत्ति पेश नहीं की। अपीलाण्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 24.04.2006 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में कोई अपील पेश नहीं की है। निर्णय अंतिम हो चुका है अब इस पर पुनः सुनवाई नहीं की जा सकती है। प्रकरण में रेस्ज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। अधीनस्थ न्यायलाय ने दावा में दावा व प्रतिवादी संख्या 7–8 के काउण्टर क्लेम का निर्णय किया है। दावा व काउण्टर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट ने एक ही अपील पेश की है जो पोषणीय नहीं। दावा का निर्णय व काउण्टर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध दो अपील पेश की जानी चाहिए। अतः अपीलाण्ट की अपील मेरिट पर एवं मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 221 डीबी, आरआरटी 2020 (1) पेज 198 डीबी, आरआरटी 2020 (2) पेज 219 डीबी, आरआरटी 2021 (1) पेज 628 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत चक 14 [illegible] 11.738 है0 मुश्तर्का खाता की भूमि में 2.609 है0 का हक व हिस्सा होने का [illegible] मुताबिक हक हिस्सा अच्छी बुरी के लिहाज से रास्ता [illegible] के सहलियत के अनुसार खाता तकसीम किये जाने का अनुतोष मांगा था जिसमें प्रतिवादी [illegible] व 8 ने काउंटर क्लेम पेश करते हुए अपना हिस्सा 2.429 है0 भूमि का अलग से खाता तकसीम करने व कब्जा आराजी दिलवाने की अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने खाला रास्ता की सुविधा को ध्यान में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलाण्ट का मुख्य आक्षेप

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

यह है कि रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने काउण्टर क्लेम में रास्ता बाबत कोई मांग नहीं की थी, रेस्पोडेण्ट ने उसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवा लिया है। जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

9. अपीलाण्ट की अपील के तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट की अपील खाता विभाजन के विरूद्ध नही है खाता विभाजन से अपीालण्ट को कोई आपत्ति नही है। उसके द्वारा चाही गई भूमि उसे विभाजन में दी गई है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश के द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया है उसके विरूद्ध अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017 (1) पेज 222 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि रास्ते की अनुपस्थिति में विभाजन का उद्‌देश्य पूरा नही होता है। हमारा मत है कि रास्ता के अभाव में खाता विभाजन का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि रास्ता के अभाव में रेस्पोडेण्ट अपनी भूमि में आवागमन नही कर सकेगा।

10. इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व काउण्टर क्लेम का निर्णय किया है। अपीलाण्ट ने दावा व काउण्टर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील पेश की है जबकि दावा का निर्णय व काउण्टर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध अलग अलग दो अपीलें पेश करनी चाहिए थी। साथ ही इस प्रकरण में पूर्व में भी एक अपील संख्या 134/2005 अनवान रामरख बनाम हरचन्द आदि पेश हुई थी जिसमें अपीलाण्ट बतौर रेस्पोडेण्ट सं0 2 संयोजित था। इसमें दिनांक 24.04.2006 को अंतिम निर्णय किया गया था। जिसमें रास्ते को यथावत रख गया है। अपीलाण्ट ने इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में कोई अपील पेश नही की है। इस न्यायालय का पूर्व निर्णय दिनांक 24.04.2006 अंतिम हो चुका है। अब इस पर पुनः सुनवाई नहीं की जा सकती है। प्रकरण में रेसज्यूडीकटा का सिद्धान्त लागू होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.11.2004 व डिक्री दिनांक 05.02.2005 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

28/9/21

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 42/2007 (2007/00139)

जयमल पुत्र श्री गणेशाराम जाति जाट निवासी डबली बास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. मांगीलाल } पिसरान सहीराम
2. भीमसैन
3. हरचन्द पुत्र सदुराम
4. रामरख } पिसरान सरदारा
5. देवीलाल
6. बलवन्त
7. कृष्ण } पिसरान बलवन्त
8. महेन्द्र
9. सुलतान पुत्र गणेशाराम

(1 से 9) } अकवाम जाट निवासीयान डबलीवास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

10. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.11.2004 व डिक्री दिनांक 05.02.2005
द्वारा सहायक कलक्टर हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 183/97 अनवान हरचन्द बनाम रामरख

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री सोमप्रकाश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी, श्री औमप्रकाश मोदी, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1 व 2, श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 10 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.11.2004 व डिक्री दिनांक 05.02.2005 यथावत रखे जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28.09.21 को जारी की गई।

28/9/21

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)